न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17/2017 (उदयपुर डिकी)

हसन मोहम्मद पिता भूरा जी पिंजारा (मुसलमान), निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मुबारिक पिता लाखा जी पिंजारा (मुसलमान), निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. इकबाल पिता लाखा जी पिंजारा (मुसलमान), निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. गनी मोहम्मद पिता लाखा जी पिंजारा (मुसलमान), निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मुमताज पिता लाखा जी पिंजारा (मुसलमान) पत्नी रज्जाक मोहम्मद, निवासी धरियावद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्रीमती रसीदा पिता लाखा जी पिंजारा (मुसलमान) पत्नी मुन्ना खां, निवासी बड़ीसादड़ी, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. भाफी मोहम्मद पिता गुलाब जी पिंजारा (मुसलमान), निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 18.06.2016 प्र.सं. 137/2011

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री पन्नालाल मारू अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री खेमराज डांगी अभिभाशक रेस्पो.सं. 1, 2, 3 व 6

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 7

———:::———

निर्णय दिनांक

29—08—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरोली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' वर्णित आराजीयात कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' में अंकित आराजी नंबर 1525/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 8/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 में प्रत्येक का 1/30, 1/30 हिस्सा अंकित है। पक्षकारान के मध्य अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों का वर्शो पूर्व विभाजन होकर पक्षकारान अपने—अपने हिस्से में आयी भूमियों पर काबिज हैं। इसलिए यदि कब्जे अनुसार विभाजन किया जाना है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जवाबदावे के साथ एक नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया।

उक्त जवाबदावे का जवाबुल जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत कर उसे मिथ्या एवं मनगढ़न्त होना बतयाा तथा बताया कि वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा अलग—अलग नहीं होकर संयुक्त रूप से चला आ रहा है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–12–2014 को प्रकरण में 2 तनकियात कायम की तथा दिनांक 18–06–2018 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी है, न ही उसे सुना गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजियात का विभाजन कब्जे व हिस्से के आधार पर किये जाने की डिक्री जारी की है, जबकि अपीलान्ट ने अपने वाद में स्पश्ट रूप से संयुक्त कब्जा होने का निवेदन किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में यह निर्णय पारित किया है कि विवादित आराजियात का मैके पर बंटवाड़ा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर हिस्से कब्जे के अनुसार किया जावे, तद्नुसार अपीलान्ट का यह कथन उचित नहीं है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन नहीं

किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से स्पश्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने की ही डिक्री जारी की है, जिसका अर्थ अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना ही होता है। तद्नुसार अपीलान्ट सारहीन हाने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

हसन मोहम्मद पिता भूरा जी पिंजारा (मुसलमान), निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

मुबारिक पिता लाखा जी पिंजारा (मुसलमान), नि0 दरोली, तहसील वल्लभनगर, जि. उदयपुर

अपील नं॰.....17/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 06.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....29....माह.....08.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री पन्नालाल मारू..मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री खेमराज डांगी/पंकज भटनागर

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निणय व डिकी दिनांक 18–06–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....29.....माह.....08... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।